पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिपक्षी सं. 1 लगा 6 की विधिवत तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त 90 दिवस अवधि से अधिक व्यतीत होने के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा. पत्र T.I. पेश नहीं किया गया है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र T.I. दिनांक 10.1.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

10.1.25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जयपुर पधारे। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.1.25 को पेश हो।

31.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रा. पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
53/22	08.07.22	31.01.25

बउनवान

1. धनश्याम लाल पुत्र रामसिंह निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी धनश्यामलाल निवासी बनावड तहसील मण्डावर दौसा।
3. प्रहलाद पुत्र मूल्याराम निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. लटूर पुत्र मूल्याराम निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. शिवचरण पुत्र हजारी निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. ओमप्रकाश पुत्र पून्याराम निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
7. रमेश पुत्र किशन निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
8. बनैसिंह पुत्र किशन निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
9. बुगल देवी पत्नी पून्या निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र कनीराम निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. तेजपाल पुत्र सन्तूसिंह निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. पवन कुमार पुत्र सन्तूसिंह निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. मुकेश पुत्र सन्तूसिंह निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. उपंपजीयक मण्डावर जिला दौसा।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री जितेन्द्र गुर्जर, श्री मधुसूदन सैनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक श्री मधूसुदन सैनी ने इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 102, 103/1184, 192 से 196, 285, 607, 615 से 620, 622, 623, 635 से 640, 650, 651, 655, 805 कुल किता 27 रकबा 8.90 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा दावा प्रतिवादी सं. 19 से 22 के पिताजी मृतक किशोरी व दावा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 24 के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। इस प्रकार विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्राथी सं. 1 लगायत 24 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिन्होंने अपने–अपने हिस्से अनुसार अलग डोल मेड कर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उपरोक्त विवादित आराजीयात का अभी तक तकास्मा नहीं हुआ

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

है जिससे किसी के पास कम व किसी के पास ज्यादा जमीन काश्त हो जाती है। दिनांक 15.06.22 को प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आगामी फसल के लिये साफ सफाई व तारबन्दी कर रहे थे, तब अप्रार्थीगण आये और कहने लगे कि आपने हमसे ज्यादा जमीन काश्त कर रखी है, इस कारण हम तुम्हें इस जमीन की साफ सफाई व तारबंदी नहीं करने देगे। तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि हमारे पास तो हमारे हिस्से से भी कम भूमि है, यदि आपको किसी प्रकार की शंका हो तो सभी तहसील कार्यालय में चल कर उपरोक्त विवादित आराजीयात का तकासमा करवा लेते है लेकिन अप्रार्थीगण कहने लगे कि हम कहीं नहीं जायेंगे तथा हम जिस भूमि को चाहेंगे, उसी में फसल बोयेंगे तथा तुम हमें नहीं बोने दोगे तो हम हमारे हिस्से का बेचान किसी लट्ठ वाले व्यक्तियों को कर देगे। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है जबकि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से, दौराने दावा, पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे तथा आराजी को रहन बय मुन्तकिल नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बावजूद, अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बनावड तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के सहखातेदार हैं, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित विवादित आराजीयात में यदि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के द्वारा बिना तकासमा हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है एवं किसी अन्य व्यक्ति को भूमि के किसी हिस्से का बेचान किया जाता है तो तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 बिना विभाजन अच्छी व अधिक भूमि पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 द्वारा के दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित खसरा सं. 102, 103/1184, 192 से 196, 285, 607, 615 से 620, 622, 623, 635 से 640, 650, 651, 655, 805, कुल किता 27 रकबा 8.90 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 विवादित आराजीयात में, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें तथा आराजी को रहन बय मुन्तकिल नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)